न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 93 / 2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. बबरोंदेवी पत्नी राणाराम
2. केतन कुमार पुत्र राणाराम
3. बाबुराम उर्फ लाधूराम पुत्र राणाराम
4. भावाराम पुत्र राणाराम
5. राठौड़ किशोर भाई पुत्र भुराराम उर्फ भरतभाई
6. राठौड ज्योति बेन पत्नी भुराराम उर्फ भरतभाई
7. राठौड नितीन पुत्र भुराराम उर्फ भरतभाई
8. राठौड निलेश पुत्र भुराराम उर्फ भरतभाई जातियान कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. वंशाराम पुत्र किरताराम
2. बुधाराम पुत्र किरताराम
3. तगाराम पुत्र किरताराम
4. बबरोदेवी पत्नी किरताराम
5. पेमाराम पुत्र सताराम
6. बाबुराम पुत्र सताराम
7. मोहनराम पुत्र सताराम
8. वनाराम पुत्र सताराम
9. समदादेवी पत्नी सताराम
10. भंवरराम पुत्र पाबुराम जातियान कुम्हार निवासी महादेव नगर तहसील सिणधरी
11. केसीदेवी पत्नी मंगलाराम
12. दीपाराम पुत्र मंगलाराम
13. पेमाराम पुत्र रावताराम
14. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
15. मिसराराम पुत्र रावताराम
16. नरपतराम पुत्र जुगताराम
17. पानीदेवी पत्नी जुगताराम
18. भूराराम पुत्र जुगताराम
19. मांगाराम पुत्र जुगताराम
20. रेवतकुमार पुत्र जुगताराम
21. वोताराम पुत्र अमराराम
22. सूंगीदेवी पत्नी जुगताराम
23. हरिश कुम्हार पुत्र जुगताराम जातियान कुम्हार निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी
24. गोरखाराम [illegible]राम
25. राजाराम [illegible] रूपा[illegible]
26. मेघराज पुत्र गणे[illegible]
27. [illegible] पुत्र [illegible]
28. सडीयादेवी [illegible] गुणेशाराम जातियान राईका निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी
29. देवनाथ पुत्र पूनमनाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

30. पदमनाथ पुत्र पूनमनाथ जातियान कालबेलिया निवासी गादेसरा
31. तेजाराम पुत्र प्रागाराम जाति मेघवाल निवासी गादेसरा
32. जमनादेवी पत्नी मदनलाल जाति सोनी निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी
33. तेजाराम पुत्र ठाकराराम
34. पूनमाराम पुत्र ठाकराराम
35. रूपोदेवी पत्नी ठाकराराम जातियान जाट निवासी गादेसरा सिटी तहसील सिणधरी
36. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी, प्रतिवादी सं. 34 व 35 अनुपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 05.11.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 [illegible] 7 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त [illegible] विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की [illegible] या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 7.5237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 34, 35 की तरफ से वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 7.5237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 7.5237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयरभूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा सं[illegible]रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 7.5237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की [illegible] 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि [illegible] रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा महादेव नगर के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 1.2378 हैक्टेयर तथा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा गादेसरा के खसरा संख्या 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 7.5237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6936 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:25 IST
Reason: SelfAttested